न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री मोहनलाल खटनावलिया, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 120/2018

वादीगण :–	बनाम	प्रतिवादीगण
1. चम्पादेवी पत्नि नारायणलाल 2. मुन्नी देवी पत्नि रामनिवास जातियान–कुमावत, निवासीगण– बांझाकुड़ी, तहसील–जैतारण, जिला–पाली (राज.) 3. आर.डी. कुमावत पुत्र ए.आर. कुमावत 4. सी.एस. कुमावत पुत्र ए.आर. कुमावत निवासीगण– बी–107 शास्त्रीनगर, जोधपुर तहसील–जोधपुर, जिला–जोधपुर		1. धोकलराम पुत्र गणेशराम 2. पन्नालाल पुत्र गणेशराम 3. मोहनलाल पुत्र उम्मेदराम फौत के कायम मुकामान– 3.1 राजुराम पुत्र मोहनलाल 3.2 प्रकाश पुत्र मोहनलाल 3.3 दिनेश पुत्र मोहनलाल 4. भंवरलाल पुत्र उम्मेदराम 5. रामपाल पुत्र उम्मेदराम 6. हरिराम पुत्र उम्मेदराम 7. पाबुराम पुत्र पूनाराम 8. संगीता पत्नि रामेश्वरलाल 9. चौथा पुत्र खूमा 10. अमराराम पुत्र लादूराम 11. ओमप्रकाश पुत्र सोनाराम जातियान कुमावत निवासीगण–जैतारण, तहसील–जैतारण, जिला–पाली (राज.) 12. प्रसंन्नचंद पुत्र जौहरीलाल जैन निवासी जैतारण 13. तहसीलदार, जैतारण तहसील–जैतारण, जिला–पाली

राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 **तारीख रजू:.18/05/2018**

उपस्थित:. 1. श्री रामस्वरुप चौधरी, अधिवक्ता, वादी।

2. श्री किशोर कुमावत, अधिवक्ता, प्रतिवादी सं. 12

–:: निर्णय ::– **दिनॉक:– 10/07/2018**

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि सरहद मौजा–जैतारण पटवार हल्का–जैतारण तहसील–जैतारण जिला–पाली में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की सामलाति खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 538 रकबा 93–14 बीघा की आई हुई है। जिसमें से भारत सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग हेतु 4–06 बीघा भूमि अवाप्त कर ली गई। इसलिए खसरा नम्बर 538 की शेष भूमि रकबा 89–08 बीघा भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की शामलाति खातेदारी व कब्जा काश्त की है। नकल जमाबंदी वादपत्र के साथ पेश है, जिसे वादपत्र का आवश्यक भाग माना जावें। उपरोक्त वर्णित आराजी राजस्व रेकर्ड में सामलाती है, जिसका कानूनन बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवाड़ा नहीं हो रखा है तथा मौके पर उपरोक्त वर्णित आराजी पक्षकारान अपनी सहमति से अपने हिस्सेनुसार काबिज होकर काश्त कर रहे है तथा आपसी सहमति से उक्त आराजी का मौके पर बंटवाड़ा कर रखा है। परन्तु कानूनन बंटवाड़ा नही हो रखा है। उपरोक्त वर्णित आराजी राजस्व रेकर्ड में सामलाति होने एवं कानूनन बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवाड़ा नहीं होने

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

से वादीगण को अनेकों प्रकार की कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। जिसमें वादीगण अपनी आराजी में कुआ खुदवाने, बिजली कनेक्शन लेने, अपनी आराजी के चारों तरफ मेड़बंदी करने, उसे उपजाऊ करने एवं खाद डालने एवं भूमि रूपान्तरण करवाने आदि में अनेकों प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड रहा है। क्योकि जब तक उक्त आराजी का कानूनन बंटवाड़ा नही हो जाता तब तक वादीगण अपनी आराजी में इस तरह के काम नही कर सकते है। इसलिए वादीगण का यह वादपत्र बंटवाड़े का विरूद्ध प्रतिवादीगण के पेश है। उपरोक्त वर्णित आराजी का कानूनन बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवाड़ा नही होने से प्रतिवादीगण आये दिन वादीगण की आराजी में रास्ता निकालते है एवं वादीगण को ऐलानिया धमकी देते है कि उपरोक्त वर्णित आराजी को बिना बंटवाड़ा करवाये ही किसी अजनबी क्रेता को बैचान बक्सीस कर देगें और फ्रण्ट की जगह पर अपना कब्जा जमा लेंगे। यदि प्रतिवादीगण अपने नापाक इरादों में कामयाब हो जाते है तो वादीगण को असीम क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव नही है। इसलिए वादीगण का यह वादपत्र बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध प्रतिवादीगण के पेश है। उपरोक्त वर्णित आराजी का जब तक कानूनन बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवाड़ा नही हो जाता तब तक प्रत्येक खातेदार का हर इंच पर अपना अधिकार है और इन्हीं मंसुबों से प्रतिवादीगण अपनी आराजी को अजनबी क्रेता को बैचान करने पर उतारू है और यदि प्रतिवादीगण बिना बंटवाड़ा करवाये उक्त आराजी का किसी अन्य व्यक्ति को बैचान कर देते है तो अजनबी क्रेता मौके पर कब्जे को लेकर विवाद करेगा। जिससे मौके पर लड़ाई झगड़े होंगे, मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसेडिग्स् बढेगी एवं अनेको प्रकार की मुकदमेबाजी होगी। जिससे वादीगण अपने जायज हक व अधिकारों से हमेशा के लिये महरूम हो जायेगा। इसलिए वादीगण के पास अन्य कोई शेष नही रहने से यह वादपत्र बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध प्रतिवादीगण के पेश है। दिनांक 05/05/2018 को वादीगण को उक्त आराजी का कानूनन बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवाड़ा करने का कहा तो प्रतिवादीगण इंकार हो गये एवं वादीगण को धमकी दी कि वो उनको मौके से बेदखल कर सम्पूर्ण आराजी पर अपना कब्जा जमा लेगे एवं उक्त आराजी को किसी अन्य व्यक्ति को बैचान कर उसे कब्जा सुपुर्द कर देंगे। यदि प्रतिवादीगण बिना कानूनन बंटवाड़ा करवाये किसी अन्य को बैचान कर देते है और अपने नापाक इरादो में कामयाब हो जाते है एवं बिना किसी हक व अधिकार के मौके पर अजनबी व्यक्ति को कब्जा सौपते है तो वादीगण अपने साम्पैतिक अधिकारों से हमेशा के लिये महरूम हो जायेगा। जिससे वादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। जिसकी क्षतिपूर्ति का मूल्यांकन रूपयों में भी नही आंका जा सकेगा। प्रतिवादीगण अजनबी व्यक्तियो के साथ मिलकर धनबल के आधार पर आये दिन वादीगण की आराजी में दखल व दस्तन्दाजी कर रहे है एवं उन्हें बेदखल करने की पुरी कोशिश कर रहे है। यदि प्रतिवादीगण अपने इन गैरकानूनी मंसुबो में कामयाब हो जाते है तो वादीगण अपने जायज हक व अधिकारों से हमेशा के लिये वंचित हो जायेगा। इसलिए वादीगण के पास अन्य कोई विकल्प शेष नही रहने से यह वादपत्र बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध प्रतिवादीगण के पेश है। प्रतिवादी संख्या 13 तहसीलदार, भूमिधारी राजस्थान सरकार होने के बंटवाड़े के वादपत्र में आवश्यक पक्षकार है। इसलिए उन्हे पक्षकार बनाया गया है। जबकि उनके विरूद्ध वादीगण ने कोई अनुतोष नही चाहा है। बिनाय वाद दिनांक 05/05/2018 को वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण को वादपत्र में वर्णित आराजी का कानूनन बंटवाड़ा करवाने का कहने पर प्रतिवादीगण द्वारा इंकार होने व

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

वादीगण को मौके से बेदखल कर अजनबी क्रेता को बैचान करने की ऐलानिया धमकी देने पर बमुकाम जैतारण तहसील जैतारण में पैदा हुआ जो श्रीमान् के श्रवणाधिकार एवं क्षैत्राधिकार में है।

वादी का दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 12 की ओर से वकालतनामा पेश हुआ, जिसे सा0मि0 किया गया। प्रति0 संख्या 12 ने प्रार्थना पत्र आदेश 08 नियम 06 सीपीसी काउण्टर वाद / प्रतिवाद पत्र पेश कर वाद के सभी तथ्य स्वीकारते हुए जाहिर किया कि पद संख्या 01 में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 538 कुल रकबा 89-08 बीघा में से प्रार्थी / प्रतिवादी के हक हिस्से एवं बंट का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस् के कानूनी बंटवाड़ा किया जाकर मौके पर नापचौंप कर पत्थरगढ़ी कर मुडा रूपवाकर प्रार्थी / प्रतिवादी की कृषि भूमि का खाता व लगान अलग-अलग किया जावें व प्रार्थी / प्रतिवादी के हक हिस्से की भूमि को नक्शा ट्रेश में तरमीम की जाकर अलग से दर्शाई जावें। प्रतिवाद पत्र सा0मि0 किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 11 बावजूद तामिली / सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। उपस्थित वकील वादी को सुना गया। वकील वादी ने जाहिर किया कि माफिक राजस्व रेकर्ड मेरे हिस्से की आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस तकासमा किये जाने की ईस्तदुआ की हैं।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद-पत्र मय शपथ-पत्र एवं दस्तावेजात तथा प्रतिवादी संख्या 12 द्वारा प्रस्तुत प्रतिवाद पत्र का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः वादी राजस्व रेकर्ड स्वयं अपने हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज हैं। वादीगण अपनी आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस तकासमा चाहते हैं। लिहाजा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 12 के हक हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस् के बंटवाडा की प्राथमिक डिकी जारी कर बंटवाडा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई कि कि सरहद मौजा-जैतारण पटवार हल्का-जैतारण तहसील-जैतारण जिला-पाली में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की सामलाति खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 538 रकबा 93-14 बीघा की आई हुई है। जिसमें से भारत सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग हेतु 4-06 बीघा भूमि अवाप्त कर ली गई। इसलिए खसरा नम्बर 538 की शेष भूमि रकबा 89-08 बीघा भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की शामलाति खातेदारी व कब्जा काश्त की है, बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बॉउण्डस करवाया जाकर खाता व लगान अलग-अलग दर्शाकर पत्थरगढ़ी /नेखमबन्दी करवाकर बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा बनाया जाने हेतु एवं बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार, जैतारण को अधिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2018/635 दिनांक 02/07/2018 द्वारा आदेशित किया गया। तहसीलदार, जैतारण ने अपने क्रमांक/भू0अ0/2018/3994 दिनांक 05/07/2018 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सा0मि0 की गई।

बहस वकुलाय सुनी गई। बहस के दौरान वकुलाय ने माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादी का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वकुलाय एवं पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा–जैतारण पटवार हल्का–जैतारण तहसील–जैतारण जिला–पाली में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की सामलाति खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 538 रकबा 93–14 बीघा की आई हुई है। जिसमें से भारत सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग हेतु 4–06 बीघा भूमि अवाप्त कर ली गई। इसलिए खसरा नम्बर 538 की शेष भूमि रकबा 89–08 बीघा भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की शामलाति खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :–

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी	किस्म	लगान
1	मुन्नीदेवी पत्नी रामनिवास, चम्पादेवी पत्नी नारायणलाल कौम कुमावत सा. बांझाकुड़ी आर. डी. कुमावत पुत्र ए. आर. कुमावत, सी.एस.कुमावत पुत्र ए. आर. कुमावत सा.बी–107 शास्त्रीनगर जोधपुर खातेदार	538/3	5-15-00	बा.दो.	1.78
2	प्रसन्नचंद पुत्र जोहरीलाल कौम ओसवाल सा.देह खातेदार	538/4	3-15-00	बा.दो.	1.16
3	धोकलराम पनाराम पिता गणेशराम राजकुमार प्रकाश दिनेश शोभादेवी पिता मोहनलाल सुखीदेवी पत्नि मोहनलाल भंवरलाल रामपाल पिता उम्मेदराम कमलादेवी पत्नि हरीराम संदीपकुमार संदेशकुमार संगीतादेवी पिता हरीराम राजकुमार प्रकाश दिनेश शोभादेवी पिता मोहनलाल सुखी पत्नि मोहनलाल कमलादेवी पत्नि हरीराम भंवरलाल रामपाल दाखुदेवी पांचीदेवी गीता पिता उम्मेदराम 894/1598 पाबुराम पुत्र पूनाराम 147/1598 संगीता पत्नि रामेश्वरलाल 38/1598 ढ्गलाराम मदनसीराज सी. रमेशकुमार लालचंद पिता चौथाराम अमराराम पुत्र लाबुराम 447/1598 ओमप्रकाश पुत्र सोनाराम 72/1598 कौम कुमावत सा.देह खातेदार	538	79-18-00	बा.दो.	24-77

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

मय बंटवाड़ा रिपोर्ट की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला-पाली (राज०)

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

निर्णय आज दिनॉक 10/07/2018 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला-पाली (राज०)

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner